"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017 — वैशाख 15, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ1-14/2012/स. क./26. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2014 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. नियम -10 की परिशिष्ट (एक) तीर्थस्थानों की सूची के सरल क्रमांक-16 के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जाए :-

17. गया, बोधगया, सारनाथ, नालंदा.

18. कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, वशिष्ट मुनि आश्रम, उमानंद मंदिर, शिवजी का मंदिर, शंकर देव कला क्षेत्र-गुवाहाटी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.